

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-57 / 2025

स्वेता उपाध्याय

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, चूरु।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भालेरी, ब्लॉक तारानगर, जिला चूरु।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.01.2025

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्वा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि आदेश दिनांक 12.12.2022 के द्वारा अपीलार्थी का साक्षात्कार एवं चयनोपरांत महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन किया गया था एवं अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड—तृतीय लेवल—प्रथम के रूप में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भालेरी, तारानगर में पदस्थापित किया गया था। इसके पश्चात से अपीलार्थी इसी विद्यालय में पदस्थापित थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे यह तथ्य अंकित किये हैं कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष अध्यापक मानते हुए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भालेरी, तारानगर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पुलासर, सरदार शहर में स्थानान्तरित कर समायोजित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को जब वर्ष 2022 में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया गया था तब अपीलार्थी को उसके इच्छित विद्यालय में पदस्थापित किया गया था। चूंकि

अपीलार्थी का उसके आवेदन पर विशिष्ट विद्यालय के लिये चयन किया गया था तो उसका अन्य महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष घोषित कर समायोजित किया गया है। विकल्प में अपीलार्थी ने यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को यदि उसी महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नहीं रखा जा सकता था तो उसे अन्य महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित नहीं करके राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.12.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को जब तक राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया जाता है तब तक उसे वर्तमान पदस्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पदस्थापित रखा जाए।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी की चयन प्रक्रिया अपनाकर महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई थी। अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड-तृतीय के रूप में पदस्थापित किया गया। महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु शिक्षकों के लिये एक पृथक से कैंडर का निर्माण किया गया है, जिस कैंडर के स्थापित होने के पश्चात सेवाशर्तों हेतु The Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of Personnel in the English Medium Schools) Rules, 2023 नियम बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 14(6) में प्रावधान है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों का स्थानान्तरण दूसरे अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का इन्हीं नियमों के तहत स्थानान्तरण किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी एक बार अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के कैंडर में पदस्थापित हो चुका है तो उसे हिन्दी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रतिवर्तन के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को वर्तमान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में इस आधार पर अधिशेष घोषित किया गया है कि अपीलार्थी बालवाटिका में पदस्थापित है। अपीलार्थी बीएसटीसी योग्यताधारी है, जो प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन कराने की योग्यता रखते हैं, जबकि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन करवाये जाने

हेतु NTA योग्यताधारी शिक्षक को प्राथमिकता दी जाती है। अपीलार्थी वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षक का कार्य कर रही है। योग्यताधारी एनटीटी शिक्षकों का पदस्थापन वर्तमान विद्यालयों में हो जाने के कारण अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी चूंकि बालवाटिका में अध्यापन हेतु निर्धारित योग्यता नहीं रखती है। ऐसे में अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। वर्तमान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अपीलार्थी अधिशेष घोषित होता है तो उसे नियमानुसार महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में ही पदस्थापित किया जा सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अपीलार्थी प्रतिवर्तन के द्वारा पुनः राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में जाना चाहती थी। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अपीलार्थी ने अपने कैंडर से प्रतिवर्तन हेतु विकल्प/आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो। ऐसे में अपीलार्थी का वर्तमान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय से अन्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में स्थानान्तरण किये जाने में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

5. अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी की नियुक्ति पंचायत समिति, जमवारामगढ द्वारा अध्यापक-तृतीय श्रेणी के रूप में की गयी थी। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 289 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता था। अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला परिषद प्रशासन और स्थापना समिति की सिफारिश पर उक्त नियम 289 के प्रावधानों के तहत ही किया जा सकता था, परन्तु उक्त नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी स्वेच्छा से चयनित प्रक्रिया में भाग लेकर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित हुआ है। महात्मा गांधी विद्यालय पूर्णतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन आते हैं। ऐसे में जब अपीलार्थी महात्मा गांधी विद्यालय में स्वेच्छा से पदस्थापित हुआ था तो अपीलार्थी को महात्मा गांधी विद्यालय के कैंडर में शामिल होना माना जाएगा। एक महात्मा गांधी विद्यालय से दूसरे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्थानांतरण माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा सकता है और ऐसे स्थानांतरण को नियम-289 राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधान लागू नहीं किये जा सकते हैं। अतः हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-289 की अवहेलना की गई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है।

6. यहां यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर राजस्थान द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र दिनांक 26.04.2023 जारी किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साक्षात्कार से पदस्थापित कर्मचारियों के प्रतिवर्तन आवेदन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, जिसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये थे कि वे अपने परिक्षेत्र में शामिल महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विद्यालय में पदस्थापित प्रतिवर्तन के इच्छुक कार्मिक से विकल्प/आवेदन प्राप्त कर दिनांक 05.05.2023 तक भिजवाने का श्रम करें ताकि प्रतिवर्तन से होने वाली भावी रिक्तियों को भी नयी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। अतः स्पष्ट है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा समायोजन की प्रक्रिया के समय प्रतिवर्तन हेतु विकल्प लिये जाने का भी प्रावधान रखा गया था। उपरोक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी अधिशेष होने के उपरान्त अपना प्रतिवर्तन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन चाहता है तो इस हेतु उक्त पत्र दिनांक 26.04.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपना विकल्प/आवेदन पत्र प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अपीलार्थी द्वारा अपना प्रतिवर्तन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)